

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना


पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 216/2015

दायर दिनांक 23.11.2015

वादीगण	प्रतिवादी
1. सांवताराम पुत्र रामदेव, उम्र-38साल, 2. बोदूराम पुत्र रामदेव, उम्र-22साल, 3. टीकमचन्द पुत्र रामदेव, उम्र-20साल, 4. पप्पूराम पुत्र रामदेव, उम्र-18साल, 5. जमुनादेवी पत्नी रामदेव, उम्र-55साल, 6. सुखराम पुत्र भागूराम, उम्र-40साल, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-तोषीणा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. मूलाराम पुत्र स्वर्गीय उगमाराम, 2. पूर्णमल पुत्र पुत्र स्वर्गीय उगमाराम, 3. देवसुखी पत्नी स्वर्गीय उगमाराम, 4. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय जसकरण, 5. रणजीत पुत्र स्वर्गीय जसकरण, 6. नारायणराम पुत्र स्वर्गीय गंगाराम, 7. बिरमाराम पुत्र स्वर्गीय गंगाराम, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-तोषीणा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 9. उपपंजीयन अधिकारी, डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 216/2015
दायर दिनांक 23.11.2015, निर्णय दिनांक 13.02.2019
सांवताराम, वगैरा बनाम् मूलाराम, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.
डिक्री दिनांक 01.12.2014 शून्य व अवैध,
निरस्त करने हेतु व चिर व्यादेश प्राप्ति हेतु

उपस्थित:-

1. श्रीमती सन्तोष जाजू, वकील, वादीगण।
2. श्री अल्ताफ हुसैन, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से।
3. तेजपाल राठी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 07 की ओर से।

--: अंतिम निर्णय ::--

दिनांक 13.02.2019

मौजा सरहद तोषीणा के खेत खसरा संख्या 658 रकबा 17.18 बीघा भूमि व खसरा संख्या 664 रकबा 02.14 बीघा व खसरा संख्या 674 रकबा 82.15 बीघा व खेत खसरा संख्या 684 रकबा 16.00 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 690 रकबा 10.10 बीघा भूमि तथा खेत खसरा संख्या 693 रकबा 0.09 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 694 रकबा 21.05 बीघा भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत्, दिनांक 26.12.2018 को जरिये प्राथमिक डिक्री के, विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 208 दिनांक 01.02.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 208 दिनांक 01.02.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)


राजस्व-वाद, संख्या 216/2015
दायर दिनांक 23.11.2015, निर्णय दिनांक 13.02.2019
सांवताराम, वगैरा बनाम मूलाराम, वगैरा।

आदेश


दावा डिक्री सादिर कर मौजा सरहद तोपीणा के खेत खसरा संख्या 658 रकबा 17.18 बीघा भूमि व खसरा संख्या 664 रकबा 02.14 बीघा व खसरा संख्या 674 रकबा 82.15 बीघा व खेत खसरा संख्या 684 रकबा 16.00 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 690 रकबा 10.10 बीघा भूमि तथा खेत खसरा संख्या 693 रकबा 0.09 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 694 रकबा 21.05 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड वाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 208 दिनांक 01.02.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 684 रकबा 16.00 बीघा व खसरा नम्बर 664 रकबा 02.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी को तथा खसरा नम्बर 693 रकबा 0.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 694 रकबा 21.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 03 को तथा खसरा नम्बर 690 रकबा 10.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 04, 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरान् पर पटवारी फर्द के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त, उपयोग व उपभोग है, लिहाजा दिनांक 01.12.2014 को जारी डिक्री को निरस्त व प्रभाव शून्य किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 208 दिनांक 01.02.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A.S. जेटर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागाौर)
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S. जेटर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागाौर)
डीडवाना

डिक्री वमुकददमें इव्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 216/2015

दायर दिनांक 23.11.2015

वादीगण	प्रतिवादी
1. सावताराम पुत्र रामदेव, उम्र-38साल,	1. मूलाराम पुत्र स्वर्गीय उगमाराम,
2. बोदूराम पुत्र रामदेव, उम्र-22साल,	2. पूर्णमल पुत्र पुत्र स्वर्गीय उगमाराम,
3. टीकमचन्द पुत्र रामदेव, उम्र-20साल,	3. देवसुखी पत्नी स्वर्गीय उगमाराम,
4. पप्पूराम पुत्र रामदेव, उम्र-18साल,	4. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय जसकरण,
5. जमुनादेवी पत्नी रामदेव, उम्र-55साल,	5. रणजीत पुत्र स्वर्गीय जसकरण,
6. सुखराम पुत्र भागूराम, उम्र-40साल, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-तोषीणा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	6. नारायणराम पुत्र स्वर्गीय गंगाराम, 7. विरमाराम पुत्र स्वर्गीय गंगाराम, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-तोषीणा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 9. उपपंजीयन अधिकारी, डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.
डिक्री दिनांक 01.12.2014 शून्य व अवैध,
निरस्त करने हेतु व चिर व्यादेश प्राप्ति हेतु

दिनांक 13.02.2019
यह मुकदमा आज वारसे इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व
हाजरी मिनजानिव मुददई श्रीमती सन्तोष जाजू, वकील, वादीगण व श्री



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

अल्ताफ हुसैन, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से व तेजपाल राठी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 07 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर मौजा सरहद तोषीणा के खेत खसरा संख्या 658 रकबा 17.18 बीघा भूमि व खसरा संख्या 664 रकबा 02.14 बीघा व खसरा संख्या 674 रकबा 82.15 बीघा व खेत खसरा संख्या 684 रकबा 16.00 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 690 रकबा 10.10 बीघा भूमि तथा खेत खसरा संख्या 693 रकबा 0.09 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 694 रकबा 21.05 बीघा भूमि का "वाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के वंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 208 दिनांक 01.02.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 684 रकबा 16.00 बीघा व खसरा नम्बर 664 रकबा 02.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी को तथा खसरा नम्बर 693 रकबा 0.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 694 रकबा 21.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 03 को तथा खसरा नम्बर 690 रकबा 10.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 04, 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरान् पर पटवारी फर्द के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त, उपयोग व उपभोग है, लिहाजा दिनांक 01.12.2014 को जारी डिक्री को निरस्त व प्रभाव शून्य किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 208 दिनांक 01.02.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुवलिंग.....-..... वावत.....
 -.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। वसव्द मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	-		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	-		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
वावत इजराय			वावत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना